न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2016-00159 RAAJodhpur2016-27RTA223 Smt. Champadevi Vs Dhudaram etc

श्रीमती चम्पादेवी पत्नी श्री पाबूराम जाति ब्राम्हण, निवासी गांव भोजासर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. धुड़ाराम पुत्र मालाराम जाति बिश्नोई, निवासी- गांव जम्भसागर,(भीयांसर) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. जेताराम पुत्र श्री पोकरराम, जाति बिश्नोई, निवासी गांव हाणियां, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक देणोक जिला जोधपुर।
4. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे फलोदी, जोधपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 धुडाराम बनाम जेताराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 21 सितंबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 धुडाराम बनाम जेताराम इत्यादि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम 1955 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 अप्रेल 2016 को पेश की गयी है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक धुड़ाराम द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण जेताराम, चम्पादेवी की संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जोधपुर के खेत खसरा संख्या 1106 रकबा 127 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई, जिसमें वादी ने अपना हिस्सा 7/24 अर्थात 37 बीघा 06 बिस्वा बंट में आने एवं प्रतिवादी संख्या एक जेताराम जो कि धुड़ाराम का रिश्तेदार है, जिसने मिलीभगत कर अपना हिस्सा 13/24 अर्थात 69 बीघा 02 बिस्वा भूमि बंट में आने तथा वर्तमान अपीलांट जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या दो का 1/6 हिस्सा अर्थात 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपने बंट में आने का कथन करते हुए उक्त दावा पेश किया, जिसमें रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या तीन व 4 जो कि बैंक है जहां पर भूमि रहन रखी हुई है तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जो कि भूमिधारी है को पक्षकार बनाते हुए उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2013 को पेश किया जिसकी विधिवत तामील अपीलांट से नहीं की गई तथा जो सम्मन/नोटिस/रजि. ए. डी. से जारी किये उसमें अपीलांट के पति का नाम पाबूराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थान पर किसी अन्य बाबूराम के नाम से जारी किये एव किसी बाबूराम के आसामी के घर भेज दिये एवं मिलीभगत से सम्मन लेने से मना किया उक्त कथन फर्जी तरीकों से मिलीभगत से करवाये जबकि अपीलांट चम्पादेवी वृद्ध महिला है, उसके पति का नाम पाबूराम है, जो कि राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं उनके बैंक खाता, भामाशाह कार्ड आदि सभी दस्तावेज में पति का नाम पाबूराम ही सही है तथा वादी/रेस्पो. धुड़ाराम, जेताराम ने मिलीभगत कर फर्जी तामील बनाकर दिनांक 12 दिसंबर 2015 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय अपने पक्ष के में करवा लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष (अपीलांट पक्ष एवं रेस्पो. संख्या 5) के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की विधिवत्त तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना माईंड अप्लाई किये बिना ही एवं पत्रावली का विधि पुर्वक अध्ययन किये बिना तथा सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर गलत तथ्यों के आधार पर सम्मन/नोटिस तामील मानने में भारी भूल की है तथा विधि के प्रावधानों की धारा 18 से 21 की पालना किये बिना ही रास्ता छोड़े ही अपीलांट/रेस्पो. संख्या 2 चम्पा देवी के नाम जो नक्शा वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसमे वास्तविक कब्जे काश्त के हटकर उनके हिस्से की भूमि को नक्शे में दर्शाया गया, जिसमें कट्टाणी रास्ते से एवं सड़क जो ग्राम भींयासर, भोजासर से पड़ियाल जाने वाली आम सड़क से उनके खेत में आने जाने के रास्ते दर किनार करते हुए एक तरफा कार्यवाही करते हुए बिना किसी आधार के सहायक कलक्टर ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी धुड़ाराम व प्रतिवादी जेताराम जो कि दोनो निजी रिश्तेदार है ने मिलीभगत कर उक्त संयुक्त खातेदारी खसरा नं. 11.06 में वर्णित भूमि के मध्य अपीलांट चम्पादेवी का जबरदस्ती हिस्सा रख कर तंग व परेशान करने की नियत से तथा भविष्य में उक्त भूमि में आने जाने के लिय रास्ता नहीं देने की योजना बनाकर उक्त दावा पेश किया ताकि बंटवाड़ा करवाने के बाद उक्त भूमि में अपीलांट को भविष्य में आने वाली कठिनाईयों का सामना करना पड़े एवं परेशान होकर उक्त भूमि में काश्त करनी मजबूरी में छोड़ दे, उक्त उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अपनी मनमर्जी से बिना किसी आधार का राजस्व रेकर्ड नक्शा में वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए अपनी मर्जी से नजरी नक्शा पेश किया, जिसका का भी कोई आधार नहीं बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2015 की आदेशिका में अपीलांट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली 03.02.2016 से पूर्व ही दूसरे ही दिन अर्थात दिनांक 12.12.2015 को ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई तथा संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा न्यायालय में पेश करने हेतु आदेश जारी कर दिये जबकि उक्त पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 03.02.2016 को पेश होने के आदेश हो रखे थे। प्रकरण में अपीलांट को बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुने ही एवं बिना सुनवाई के अवसर दिये बिना ही विधि एवं कानून के विपरीत निर्णय कर दिया जो विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के वकील की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् लोक अदालत में सुनवाई करने का उल्लेख करते हुए दिनांक 12.12.2015 को पेश किया गया, जिसमें किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उस दिन कोई भी पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुए तो फिर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 को पारित कर दी जो खारिज योग्य है। अपील प्रस्तुति में हुई देरी के संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील किये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इसलिए अपील प्रस्तुति में हुई देरी को न्याय हित में माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 को खारिज फरमाया जावे तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया।जहां अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तामील किये बिना, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को बिना सूचना कोर्ट कैम्प राजस्व अदालत में रखकर निस्तारित किया जाना पाया जाता है। भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख संवतः 2068-2071 ग्राम जम्भसागर पटवार हल्का भींयासर तहसील फलोदी के खाता संख्या 40 पुराना खाता संख्या 230 के मुताबिक विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1106 रकबा 127.13 बीघा बारानी तृतीय जेताराम पि. पोकरराम 13/24 विश्नोई सा. हाणिया तह. औसियां, धुड़ाराम पि. मालाराम 7/24 विश्नोई सा. देह पाबुराम पि. सालगराम 1/6 जाति ब्राम्हण सा. भोजासर के नाम से दर्ज है। नामा. संख्या 30 दिनांक 18.02.2013 के जरिये पाबूराम के द्वारा हकत्याग करने से विवादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्सा चम्पादेवी पत्नी पाबूराम के नाम से दर्ज हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 के जरिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो को जमाबंदी संवतः 2067-71 में दर्ज हिस्से अनुसार ही खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है। हिस्सों के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। **जहां तक बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अपीलांट को उज/एतराज है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना शेष है। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर प्राप्त है।** इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य पायी जाती है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 धुडाराम बनाम जेताराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। अपीलांट को निर्देश है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वाद की सुनवाई हेतु मुकर्रर आगामी तारीख पेशी पर विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

श्रीमती चम्पादेवी पत्नी श्री पाबूराम जाति ब्राम्हण, निवासी गांव भोजासर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. थुड़ाराम पुत्र मालाराम जाति बिश्नोई, निवासी- गांव जम्भसागर, (भीयां सर) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. जेताराम पुत्र श्री पोकरराम, जाति बिश्नोई, निवासी गांव हाणियां, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक देणोक जिला जोधपुर।
4. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे फलोदी, जोधपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 थुडाराम बनाम जेताराम इत्यादि

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 21 सितबंर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 दिसंबर 2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 धुडाराम बनाम जेताराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। अपीलांट को निर्देश है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वाद की सुनवाई हेतु मुकर्रर आगामी तारीख पेशी पर विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग --/------) रुपये ----------/- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----/----- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 21 सितंबर 2021 को जारी किया गया।

21/9/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

21/9/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर